न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)

…ज़ीन अधिकारी का नाम– डॉ.प्रतिभा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 13/2019

भागीरथमल शर्मा पुत्र स्व. मंगलचन्द शर्मा उम्र 72 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम माण्डेला बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान। मो. 9610614541

..................प्रार्थी

<u>बनाम</u>

तहसीलदार फतेहपुर–शेखावाटी जिला सीकर राज0

......अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अ.धारा 136 भू0 रा0 अधिनियम 1956 बाबत राजस्व रिकार्ड के इन्द्राज संशोधन करने हेतु।</u>

उपस्थित अधिवक्ता

श्री राजकुमार शर्मा– प्रार्थी

<u>निर्णय</u>

दिनांकः– 07.04.2021

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा नंबर 139 रकबा 6.31 हैक्टयर, खसरा नम्बर 143 रकबा 1.54 हैक्टयर, खसरा नम्बर 146 रकबा 1.0 हैक्टयर, खसरा नम्बर 156 रकबा [illegible] हैक्टयर, खसरा नम्बर 183 रकबा 1.59 हैक्टयर, वाके कुल खसरा पांच कुल रकबा 11.[illegible] हैक्टयर वाके ग्राम माण्डेला बड़ा तहसील फतेहपुर –शेखावाटी जिला सीकर राज0 [illegible] है। उक्त भूमि को इस प्रकरण में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया जाएगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratibha Dotasra
Date: 2021.07.02 12:18:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की पैतृक भूमि है जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/4 है तथा उक्त भूमि के पुराने खसरा नंबर 97, 101, 103/1, 107, 129 है जिसका मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति संलग्न है।

प्रार्थी का पूरा नाम भागिरथमल शर्मा है किन्तु प्रार्थी को गांव एवं परिवार में भागिरथ भी कहते है तथा वादग्रस्त भूमियों के पुराने राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम भागिरथ पुत्र मंगला जाति ब्राहम्ण दर्ज है तथा पुराने रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् सम्वत् 2055–58 एवं 2059–62 तक में प्रार्थी का नाम भागिरथ पुत्र मंगला जाति ब्राहम्ण सा.देह है तथा यही नाम इससे पूर्व के राजस्व रिकार्ड में भी है। तथा प्रार्थी के राशन कार्ड, आधार कार्ड वोटर आईडी में प्रार्थी का नाम भागिरथ मल शर्मा है।

तहसील फतेहपुर के हाल सेटलमेंट में वादग्रस्त भूमियों के खसरा नम्बर नये डाल दिये गये तथा वादग्रस्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड को ऑनलाईन किया गया उस दौरान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2074–77 में खातेदारी में प्रार्थी का नाम भागिरथ के स्थान पर भागिरथ सिंह पुत्र मंगला जाति ब्राहम्ण कर दिया। जबकि प्रार्थी का नाम भागिरथ है। तथा पुराने रिकार्ड में भी प्रार्थी का नाम भागिरथ दर्ज है किन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती से प्रार्थी के नाम के आगे सिंह अर्थात भागिरथ सिंह दर्ज कर दिया गया जो गलत दर्ज हुआ है।

उक्त प्रार्थी के नाम की गलत इन्द्राज की जानकारी प्रार्थी को वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति लेने पर दिनांक 21.08.2019 को हुई तब प्रार्थी पटवारी हल्का के पास गया और नाम सही करने हेतु कहां तो पटवारी ने कहा की कोर्ट से कराना होगा। इस कारण आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थी का सही नाम भागिरथ है तथा पुराने राजस्व रिकार्ड में भी प्रार्थी का नाम भागिरथ दर्ज है किन्तु नये रिकार्ड में नाम भागिरथ सिंह किया है जो गलत है इस कारण आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratibha Dotasra
Date: 2021.07.02 12:18:50 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा जिसका वर्णन मद नम्बर 1 में है वाके ग्राम माण्डेला के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम भागिरथ सिंह के स्थान पर भागिरथ करने तथा इसी अनुरुप राजस्व रिकार्ड में संशोधन करने की कृपा करें।

मिसल मूर्तिव की जाकर अप्रार्थी की तलवी जारी की गयी। तहसीलदार फतेहपुर से रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार, फतेहपुर से प्राप्त रिपोर्ट एवं पत्रावली के सलंग्न दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी के अनुसार वकील प्रार्थी ने सहमति जताई। वकील ... का भली भांति अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा नंबर 139 रकबा 6.31 हैक्टयर, खसरा नम्बर 143 रकबा 1.54 हैक्टयर, खसरा नम्बर 146 रकबा 1.0 हैक्टयर, खसरा नम्बर 156 रकबा 0.68 हैक्टयर, खसरा नम्बर 183 रकबा 1.59 हैक्टयर, वाके कुल खसरा पांच कुल रकबा 11.17 हैक्टयर वाके ग्राम माण्डेला बड़ा तहसील फतेहपुर –शेखावाटी जिला सीकर राज0 में प्रार्थी का नाम भागिरथ सिंह पुत्र मंगला के स्थान पर भागिरथमल पुत्र मंगलचन्द दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार फतेहपुर को अहकाम जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(डॉ. प्रतिभा)
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

निर्णय आज दिनांक 07.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर(सीकर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pratibha Dotasra
Date: 2021.07.02 12:18:50 IST
Reason: SelfAttested